सेवा में,

मधुबनी नगर

संपत्ति-अवभार-प्रमाण-पत्र

अनुसूची 21– प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण–पत्र, संख्या 48/18 201 आवेदक सं० 9048/15·01·18

चूंकि श्री ... ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित सव्यवहारों और अवभारों का संविवरण–प्रमाण–पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सव्यहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 01-01-1987 से ता० 11-01-2018 तक तलासी की गई और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों का पता चला है। नहीं

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पा–दन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बन्धक पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।
2 पट्टे दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

Scanned by CamScanner

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/16103383cccc57d0?projector=1

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला ।

निम्न व्यक्ति तलाशी की और प्रमाण–पत्र तैयार किया :–

(हस्ताक्षर) अजीत कुमार

(पदनाम) लिपिक

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण–पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर)

(पदनाम) लिपिक

कार्यालय जिला अवर निबंधन कार्यालय मधुबनी

तारीख 16.01.18

जिला अवर निबंधन कार्यालय मधुबनी

16.01.18

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:–इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हें संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाई गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण–पत्र मे शामिल किये जायेंगे ।

(2) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स की प्रविष्टियों देखना चाहते हों, अथवा प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण–पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियां उनके सामने रख दी जायेगी ।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले मे आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की फिर भी विभाग प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा ।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि इसके द्वारा पाये गये संव्यवहारों और अवभारों के सत्यापन के बाद प्रमाण–पत्र में दिखा गया है, इसलिये विभाग आवेदक द्वारा न ढूढे गये ऐसे संव्यवहारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

प्रतिलिपि:- आरसीय स्टेट बैंक मधुबनी शाखा के पत्रांक-16/17 दिनांक 15.01.18 के आलोक में।

16.01.18

जिला अवर निबंधक
मधुबनी

अजीत कुमार
16.01.18

1/17/2018

Scanned by CamScanner